संख्या-125/2018/1163/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1515/2014(एम0एस0)जी0बी0एस0 एजूकेशन सोसाईट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं अवमाननावाद संख्या-899/सी0/2018 जी0बी0एस0 एजूकेशन सोसाईट बनाम श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक, समाज कल्याण में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-17.04.2018 के अनुपालन में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक-17.04.2018 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-95/2018/748/26-3-2018, दिनांक-29.03.2018 द्वारा रूपये-3,450,20/-के माध्यम से जारी वित्तीय स्वीकृति के आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक-17.04.2018 के अनुपालन म एवं निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-194/स.क./शिक्षा-अ/04/22/ 2018-19, दिनाक-18.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची संस्था जनता पालीटेक्निक जी0बी0एस0 एजूकेशन सोसाईट में वर्ष 2011-12 में अध्ययनरत 13 छात्रों की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल देय धनराशि रू0-3,45,020/-(रू0 तीन लाख पैतालिस हजार बीस मात्र) के भुगतान की अनुमति अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रशासकीय विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-125/2018/1163(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।